

15<sup>7</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेशद्वारा न्यायालय समय में  
वार-वार आवेजे लगवार्ड गर्ज परनु  
वादी व उनके अधिवक्ता कोर्ट उपस्थित  
नहीं हुए। लिटान प्रकरण अदालत में  
अदम हाजरी में शपथी दिये जाते  
हैं। पत्रावली केरुल शुभार हो कर  
नाम्बर से भक्त हो। त्रिपति सुले  
न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
जिला-राजसमन्द